जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,ऊना

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 282-310 डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 25-04-2021

ज़िला ऊना में दुकानों/मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थानों के बंद होने और खुलने सम्बन्धी नियम

ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या 180-207/ डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 21.04.2021 के पैरा 2 में दिए दुकानों/मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थानों के बंद होने और खुलने सम्बन्धी नियम के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है:

1. **शनिवार और रविवार के दौरान**

दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान जो सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुली रह सकती हैं	• दुकान **जो केवल** फल-सब्जी की बिक्री **के लिए ही** पंजीकृत है • दुकान **जो केवल** दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री **के लिए ही** पंजीकृत है
दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान/ मॉल जो बंद रहेंगी	उपरोक्त दोनों तरह की दुकानों/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान के अलावा सभी तरह की दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगी (मिठाई की दुकान, भुजिया की दुकान, बेकरी, नाई की दुकान इसमें सम्मिलित हैं)

2. **सोमवार से शुक्रवार के दौरान**

दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान जो सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुली रह सकती हैं	• दुकान **जो केवल** फल-सब्जी की बिक्री **के लिए ही** पंजीकृत है • दुकान **जो केवल** दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री **के लिए ही** पंजीकृत है
दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान/ मॉल जो सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रह सकती हैं	उपरोक्त दोनों तरह की दुकानों/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान के अलावा सभी तरह की दुकानें/ मार्केट्स/ व्यावसायिक संस्थान

उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्न व्यावसायिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे:

- दवाई/ मेडिकल उपकरण की दुकान की श्रेणी में पंजीकृत दुकानें
- ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट की श्रेणी में पंजीकृत दुकान/ व्यावसायिक संस्थान

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा सभी उप-मंडलाधिकारी (ना.), खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार और उप-मंडलाधिकारी (ना.) द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई शुरू करने हेतु अधिकृत होंगे।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
4. समस्त उपमंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना, मैहतपुर, संतोखगढ़, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
9. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौंक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को जिला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

Scanned with CamScanner